राजकाज की भाषा हिन्दी

डा. बसन्तीलाल बाबेल
पूर्व न्यायाधीश एवं शासन उप सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान सरकार, लावा सरदार गढ़ (राजस्थान)

हिन्दी हमारी राजभाषा और अधिकांश लोगों की मातृभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को राजभाषा और देवनागरी को लिपि का दर्जा दिया गया है। निश्चित ही हिन्दी भाषा–भाषी लोगों के लिए यह गौरव का विषय है। संविधान के निर्माण से लेकर आज तक सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर हिन्दी के व्यापक प्रयोग के प्रयास किये गये हैं। शासन–प्रशासन एवं न्यायपालिका का भी हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं प्रयोग में अपेक्षित सहयोग रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने 'भारत संघ विरूद्ध मूरासोली मारन' (ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 225) के मामले में यह कहा है कि – यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रसारित किया जाता है जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार में अभिवृद्धि करना तथा सेवारत कर्मचारियों को हिन्दी भाषा के लिए प्रशिक्षित करना हो तो ऐसा आदेश न्यायोचित होगा।

उच्चतम न्यायालय का ऐसा ही एक और फैसला है जो हिन्दी का समर्थन ही नहीं करता, अपितु उसके प्रयोग को बढ़ावा भी देता है। तमिलनाडू सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई थी, जिसके अन्तर्गत हिन्दी विरोधी आन्दोलनकारियों को पेंशन दिया जाना प्रस्तावित था। 'आर.आर. दलवाई बनाम तमिलनाडु राज्य' (ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1559) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि राज्य हिन्दी या अन्य किसी भी भाषा के विरूद्ध मनोभाव को उत्तेजित करने वाला कार्य नहीं कर सकता। यह राष्ट्र विरोधी एवं लोकतंत्र विरोधी प्रकृति है। ऐसी प्रवृति को आरम्भ में ही हतोत्साहित कर देना उचित है।

परीक्षा के माध्यम को लेकर जब विवाद उठा तो 'हिन्दी हितरक्षक समिति बनाम भारत संघ' (ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 851) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि – परीक्षा का माध्यम हिन्दी के बजाय अन्य किसी भाषा को रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए तदनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हो।

इस प्रकार समय–समय पर उद्घोषित न्यायिक निर्णयों से हिन्दी भाषा के प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार को बल मिला है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 343(3) हिन्दी को राजकाज की भाषा में यथोचित स्थान मिलने में बाधक रहा है। संविधान निर्माण के समय 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी राजकाज की भाषा के रूप में मान्य की

गई थी, लेकिन अनुच्छेद 343(3) द्वारा संसद को इस अवधि में वृद्धि करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई जो आज तक अमल में लाई जा रही है। परिणाम यह है कि राजकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का दबदबा बना हुआ है।

विधि एक तकनीकी विषय है। अतः विधि में हिन्दी का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण लगता है। विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को दो रूपों में देखा जा सकता है–

क– न्यायालय की भाषा के रूप में, तथा
ख– विधि साहित्य लेखन के रूप में।

संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान किया गया है कि –

1– उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी।
2– किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व–सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय को हिन्दी अथवा अन्य किसी भाषा के प्रयोग के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा, लेकिन निर्णय, डिक्री एवं आदेशों पर यह बात लागू नहीं होगी।
3– अधिनियम, विधेयक, आदेश, नियम, विनियम आदि के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे, तथा
4– राज्य विधान मंडल द्वारा यदि विधेयक, नियम, विनियम, अधिनियम आदि के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा किया जा सकेगा, लेकिन उसके साथ उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद देना होगा और वही प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

इससे यह स्पष्ट है कि शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में एकमात्र अंग्रेजी भाषा को ही मान्यता दी गई है जो आज भी यथावत् है। यह बात अलग है कि कुछ हिन्दी भाषी राज्यों में उच्च न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश हिन्दी में दिये जाने लगे हैं। सुखद आश्चर्य तो यह है कि कतिपय उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय संस्कृत भाषा में दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में 'मधु लिमये बनाम वेदमूर्ति' (1970)3 एस.सी.सी. 738) का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार ने हिन्दी में बहस करने की अनुमति चाही, लेकिन विपक्षी द्वारा इसका विरोध किया गया और उसने अंग्रेजी में ही बहस करने का तर्क रखा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नांकित तीन विकल्प दिये गये–
क– पक्षकार अंग्रेजी भाषा में बहस कर सकता है, अथवा

ख– वह चाहे तो बहस के लिए अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है, अथवा

ग– वह अंग्रेजी भाषा में लिखित बहस प्रस्तुत कर सकता है।

इस निर्णय से शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। लेकिन सुखद पहलू यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज की भाषा के रूप में हिन्दी को पर्याप्त महत्व मिला है। हम राजस्थान को ही लें, यहां अधीनस्थ न्यायालयों का सारा कामकाज हिन्दी में होता है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की है। अब आवश्यकता हिन्दी को शीर्षस्थ न्यायालयों के कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की है।

जहां तक हिन्दी में 'विधि साहित्य लेखन' का प्रश्न है, हिन्दी भाषा पर्याप्त रूप से आगे बढी है। अब हिन्दी भाषा में विधि विषय पर अनेक प्राधिकृत पुस्तकें उपलब्ध होने लगी है। अंग्रेजी भाषा की असंख्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद भी हुआ है। मुल्ला, रतनलाल धीरजलाल, डी.डी. बसु, बेन्थम आदि अनेक प्रख्यात लेखकों की पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है। हिन्दी में अनेक पत्र–पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विधि साहित्य प्रकाशन, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विधि पत्रिका का प्रकाशन किया जाने लगा है। यहां तक कि विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तो लेखकों से विधि विषय पर हिन्दी भाषा में पुस्तकें तैयार करवाई जाती है। विधि के क्षेत्र में हिन्दी लेखन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक पुरस्कार भी प्रतिष्ठित किये गये हैं।

इन सबके बावजूद आज भी हिन्दी को अपना यथोचित स्थान नहीं मिल पाया है, यह चिन्ता एवं चिन्तन का विषय है। वस्तुतः आज भी हमारी मानसिकता अंग्रेजी–मोह की है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। यह एक फैशन भी बन गया है। लगभग दो दशक पूर्व जब मैं मोतीलाल नेहरू पुरस्कार लेने उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ गया था, तब समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में कहा विधि, इंजीनियरिंग, मैडिकल आदि तकनीकी विषय हैं, अतः इनकी पुस्तकें अंग्रेजी में होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि शादी, विवाह एवं जन्मोत्सव आदि में ऐसा कौन सा तकनीकीपन है जिसके कारण उनके निमंत्रण पत्र अंग्रेजी भाषा में छपवाये जाते हैं। वस्तुतः यह सब हमारी सोच एवं मानसिकता है।

इस सम्बन्ध में 'लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर' (ए.आई.आर. 1997 मध्यप्रदेश 43) का एक उद्धरण योग्य मामला है। इसमें

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि – 'भारत को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष पूरे हो गये हैं, लेकिन मानसिक दासता अभी भी यथावत है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को देश की राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी के बल पर उच्च पदों पर आसीन होने की आकांक्षा रखने वाले मुट्ठी भर लोग इसे अपना यथोचित स्थान दिलाने में कंटक बने हुए हैं। भारत में अंग्रेजी जानने वाले लोगों का प्रतिशत नगण्य है, फिर भी अंग्रेजी के बल पर वे अपने आपको अन्य लोगों से ऊपर मानते हैं। यह सुस्थापित है कि बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में अधिक अच्छी तरह कर सकता है। ऐसे बालकों पर अंग्रेजी थोपना उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास को अवरूद्ध करना है।' यह निर्णय हमारे मार्गदर्शक बने, यही समय की अपेक्षा है।

******